



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 2  
PART I—Section 2

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 8]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 24, 2011/ आषाढ़ 3, 1933

No. 8]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 24, 2011/ASADHA 3, 1933

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जून, 2011

सं. 6/1/2009-बागान ( ग ).—रबड़ अधिनियम, 1947 (1947 का 24) की धारा 6क की उप-धारा (1क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सक्षम प्राधिकारी द्वारा श्री जे. धामस को उनके द्वारा कार्यग्रहण किए जाने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि तक अथवा अगले आदेश होने तक वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (वाणिज्य विभाग) के अधीन रबड़ बोर्ड, कोर्टटयम् में रबड़ उत्पादन आयुक्त के पद पर प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्त किया जाता है।

प्रदीप कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd June, 2011

No. 6/1/2009-Plant (C).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1A) of Section 6A of Rubber Act, 1947 ( 24 of 1947), the Competent Authority is pleased to appoint Shri J. Thomas, as Rubber Production Commissioner, Rubber Board, Kottayam, Kerala under the Ministry of Commerce and Industry (Department of Commerce) on deputation basis for a period of three years from the date of assumption of the charge or until further orders.

PRADEEP KUMAR, Under Secy.